

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थनापत्र प्र0स0 – 37/2018

अनवान

- 1 सीमा देवी पत्नि राजेन्द्र कुमार सुवालका उम्र वयस्क निवासी सालरिया तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. ललिता उर्फ लाली पत्नि भैरूलाल कुम्हार उम्र वयस्क निवासी सालरिया तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
2. भैरू पिता बालु कुम्हार उम्र वयस्क निवासी सालरिया तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
3. चोखा पिता हजारी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सालरिया तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
4. नानु पिता पन्ना कुम्हार उम्र वयस्क निवासी सालरिया तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
5. एस.बी.बी.जे बैंक शाखा बनेड़ा जरिये मेनेजर एस.बी.बी.जे बैंक शाखा बनेड़ा तह. बनेड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक – 27.02.2018


प्रार्थीया की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 11.01.2018 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सालरिया पटवार मण्डल सालरिया भू0अ0नि0 सरदारनगर तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 540 के आ0न0 2024 कुल कित्ता 01 कुल रकबा 03-00 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 11.01.2018 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 27.02.2018 को विपक्षीगणों को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये, विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से विरुद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीया न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सालरिया पटवार मण्डल सालरिया भू0अ0नि0 सरदारनगर तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 540 के आ0न0 2024 कुल कित्ता 01 कुल रकबा 03-00 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक सरदारनगर को 300/- रुपये फीस पर कमिश्नर-नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा